


<p>तारीख</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुझुनू  कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत उदावास  प्रकरण सं. 170/2012  <b>उनवान</b>  मंगलचन्द वगैरह बनाम गोरधन सिंह वगैरह</p> <p>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 कायदेकारी अधिनियम व अन्तर्गत आ. 39 नियम 1 व 2 व आदेश 40 नियम 1 व धारा 151 सी.पी.सी.</p>	<p>राजस्व लोक अदालत  "न्याय आपके द्वार"  अभियान-2018</p>
<p>22.06.2018</p>	<p>यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत उदावास में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया व न्यायालय मत पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों का मूल वाद में हक हिस्सा तय इसी न्यायालय द्वारा किया जाना है। इसलिए इस प्रार्थना-पत्र में दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा पाबंद किये जाने पर दोनों पक्षों के मध्य चलते हुए विवाद में कोई पेचेदगिया पैदा ना हो सके। इस विन्दु को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा पाबंद किया जाता है कि व प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि वावत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी, झुझुनू  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>झुझुनू (राजस्थान)</b> </p>	